



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में अवैध शराब बेचने के आरोपी बिट्टू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कारावास व 2,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2011 में अभियुक्त बिट्टू पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा अवैध शराब बेचने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 486/2011 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 26.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज पंचम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बिट्टू को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री अशोक सेनी एडीजीसी



है0का0 रमेश कुमार कोर्ट पेंरोकार



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी वरुण को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 01 वर्ष के कारावास की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त वरुण पुत्र सुशील निवासी ग्राम फखरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 256/2023 धारा 457/380/376/411/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 26.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त वरुण को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है तथा धारा 457/376/506/380 में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री अमित खोखर एडीजीसी



है0का0 अमन कुमार थाना खेकड़ा



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 26.03.2026

थाना बिनौली पुलिस थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2)/103(1)/190 बीएनएस में वांछित 25-25 हजार रुपये के ईनामिया 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री जोगेराम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने



लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. पप्पू पुत्र आसे, 2. आकाश, 3. गौरव पुत्रगण पप्पू, 4. राजीव, 5. अजय, 6. संजय पुत्रगण ओमकार, 7. सोनू, 8. अक्षय, 9. धर्मेन्द्र, 10. जितेन्द्र पुत्रगण रामचन्दर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लाठी -डण्डों व धारादार हथियार से लैस होकर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी तथा ट्रैक्टर से परिव्राजनों को कुचल दिया, जिससे पैर व हाथों की हड्डी टूट गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 103(1)/190 की बढोत्तरी की गई है एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामिया 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अंजय कुमार पुत्र ओमकार सिंह निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-दीपक कुमार पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र०नि० श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2- है०का० 481 गुरदीप कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3- है०का० 714 रविन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4- है०का० 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 26.03.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 63/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 04 मोटर साईकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.03.2026

को थाना छपरौली पर वादी श्री प्रवीण पुत्र श्री राजसिंह निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके ट्यूबवैल से उसकी मो0सा0 स्प्लेंडर UP-



17P-3878 चोरी कर ली है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 63/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 63/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 04 मोटर साईकिल स्प्लेंडर प्लस बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-मनीष उर्फ मंशा पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम आदर्श नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-अक्षय मान पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम आदर्श नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-प्रियांक पुत्र श्योदान सिंह निवासी ग्राम आदर्श नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं० UP-17P-3878 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 63/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना छपरौली जनपद बागपत)
- मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस UP-17C-2079 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 195/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत)
- मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं० HR-06AB-9301 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 04/26 थाना औधोगिक सेक्टर 29 पानीपत)
- मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं० HR-11L-4539 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 362/25 धारा 305 बीएनएस थाना गुहाना जनपद सोनीपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सतेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का० 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-का० 687 दीपक चौधरी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5-का० 511 धर्मेन्द्र कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।